न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	डॉ. मनोज तिवारी, (आर.जे.एस.)
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	:	647 / 2016
सी.आई.एस.नम्बर	:	1468 / 2016
पुलिस थाना	:	कोतवाली, बून्दी

राजस्थान राज्य

बनाम

1. नरेन्द्र मीणा पुत्र सुखपाल, निवासी दाल मिल की गली, मीणा मोहल्ला, इन्द्रा कॉलोनी, थाना सदर, जिला बून्दी(राज.)
2. कोमल कुमार प्रजापत पुत्र श्रवण कुमार, निवासी राधाकृष्ण मंदिर के पास, इन्द्रा कॉलोनी, बून्दी, थाना सदर, बून्दी(राज.)
3. श्याम बिहारी उर्फ श्याम पुत्र दयाराम, निवासी गोगापुरा पाड़ा, थाना गेण्डोली, जिला बून्दी(राज.)
4. रामदत्त पुत्र प्रभूलाल, निवासी कांजरी सीलोर, थाना सदर, जिला बून्दी(राज.)
5. विमल कुमार पुत्र रामकिशन, निवासी ग्राम उगैन, थाना नैनवां, हाल बटवाड़िया की टेक, नैनवां, जिला बून्दी(राज.)
6. कपिल पुत्र मदनलाल, निवासी बहादुरपुरिया, धौलादेवरा, पंचायत हट्टीपुरा, थाना सदर, जिला बून्दी(राज.) **—अभियुक्तगण**

अपराध अन्तर्गत धारा—148, 341, 323, 325 सपठित 149 भा.दं.सं.

उपस्थित :—

(1) अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
(2) श्री रघुराज सिंह, श्री हेमराज मीणा, श्री रामकैलाश नागर, श्री कन्हैयालाल मीणा, अधिवक्ता अभियुक्तगण।

:: निर्णय :: **दिनांक : 13.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.12.2015 को फरियादी कृष्णमुरारी पुत्र प्रहलाद निवासी मुरडिया थाना देई ने थाना कोतवाली बून्दी पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि वह तथा उसका साथी सत्यनारायण पुत्र रामनिवास गुर्जर कोचिंग क्लास से अपने कमरे की ओर जा रहे थे। न्यू नेहरू स्कूल के पास उन्हें प्रीतम मीणा, विमल मीणा, नरेन्द्र मीणा तथा उनके साथ 20—25 अन्य लड़कों ने रोक लिया और यह कहते हुए कि ये भी गुर्जरों के लड़के हैं, लोहे की सरियों, लकड़ियों तथा अन्य हथियारों से उन पर प्राणघातक

हमला कर दिया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली बून्दी में मुकदमा क्रमांक 570/2015 अंतर्गत धारा 341, 323, 143 भा.दं.सं. में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान फरियादी एवं घायल के कथन, गवाहों के बयान, घटनास्थल का नक्शा, चिकित्सीय अभिलेख, एक्स–रे रिपोर्ट तथा विद्यालय अभिलेख संकलित किये गये। चिकित्सीय राय में कृष्णमुरारी के हाथ की तथा सत्यनारायण की नाक की चोट को गंभीर प्रकृति का पाया गया, फलतः धारा 325 भा.दं.सं. जोड़ी गई तथा बाद अनुसंधान मुलजिमान के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 148, 341, 323, 325, 149 भा.दं.सं. का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा–148, 341, 323, 325 सपठित 149 भा.दं.सं. के आरोप विरचित करके सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोपों को अस्वीकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

3. अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने हेतु पी.डब्ल्यू.–1 कृष्णमुरारी, पी.डब्ल्यू.–2 डॉ. डी.डी. मीणा, पी.डब्ल्यू.–3 सत्यनारायण, पी.डब्ल्यू.–4 धर्मराज, पी.डब्ल्यू.–5 सुमित नुवाल, पी.डब्ल्यू.–6 रामप्रसाद, पी.डब्ल्यू.–7 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू.–8 कुलदीप, पी.डब्ल्यू.–9 खेमचंद कलवार, पी.डब्ल्यू.–10 नन्दसिंह, पी.डब्ल्यू.–11 भीमराज को परीक्षित कराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी–2 चाक थ्प्, प्रदर्श पी–3 नक्शा मौका, प्रदर्श पी–4 कृष्णमुरारी चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श पी–5 कृष्णमुरारी एक्स–रे कवर नोट, प्रदर्श पी–5ए एवं प्रदर्श पी–5बी एक्स–रे प्लेट्स, प्रदर्श पी–6 सत्यनारायण चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श पी–7 सत्यनारायण एक्स–रे कवर नोट, प्रदर्श पी–7ए एवं प्रदर्श पी–7बी एक्स–रे प्लेट्स, प्रदर्श पी–8 कुलदीप का पुलिस बयान, प्रदर्श पी–9 भीमराज का पुलिस बयान को प्रदर्शित कराया गया।

4. प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा–313 दं.प्र.सं. के तहत किया गया तो अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना तथा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

5. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

(1) क्या अभियुक्तगण द्वारा साथ मिलकर दिनांक 15.12.2015 को लगभग 01.00 बजे न्यू नेहरू स्कूल, बून्दी के पास लोहे की सरियों, लकड़ियों आदि घातक आयुधों

से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया, बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया, कृष्णमुरारी एवं सत्यनारायण को रोककर उनका सदोष अवरोध किया, उनके साथ मारपीट कर साधारण तथा गंभीर चोटें कारित कीं?

(2) यदि हाँ, तो उचित दण्ड क्या हो ?

6. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान यह निवेदन किया कि गवाह पी.डब्ल्यू.–1 एवं पी.डब्ल्यू.–3 दोनों घायल गवाह हैं, उनकी घटना स्थल पर उपस्थिति निर्विवाद है, उनके कथनों को चिकित्सा साक्ष्य पुष्ट करती है, और केवल मामूली विरोधाभासों के कारण उन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि पी.डब्ल्यू.–4 धर्मराज ने घटना को प्रत्यक्ष देखा और पी.डब्ल्यू.–11 ने भी दो लड़कों के साथ 15–20 व्यक्तियों द्वारा मारपीट की पुष्टि की। डॉक्टर एवं रेडियोग्राफर के साक्ष्य से गंभीर चोटें सिद्ध हैं। समूह हिंसा के मामले में धारा 149 भा.दं.सं. लागू होती है और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा व्यक्तिगत रूप से कौन–सा वार किया गया, इसका अलग–अलग प्रमाण अपेक्षित नहीं है। राजीनामा विधि–सम्मत और प्रमाणित नहीं है, क्योंकि परिवादी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, न ही स्वेच्छा सिद्ध हुई। अतः अभियुक्तगण को उक्त अपराधों में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता–अभियुक्त ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि एफ.आई.आर. में नामजद व्यक्तियों और न्यायालय के समक्ष विचारणाधीन अभियुक्तों के बीच असंगति है, पी.डब्ल्यू.–1 और पी.डब्ल्यू.–3 के कथनों में विरोधाभास हैं, जैसे रिपोर्ट लिखे जाने की तिथि, नक्शा मौके पर या थाने पर बनने के संबंध में असंगति है, हमलावरों की संख्या में अंतर और घटना का कारण स्पष्ट न हुआ है, स्वतंत्र गवाहों पी.डब्ल्यू.–8 कुलदीप और पी.डब्ल्यू.–11 भीमराज ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, हथियारों की कोई बरामदगी नहीं हुई, गवाह पी. डब्ल्यू.–5, पी.डब्ल्यू.–6 और पी.डब्ल्यू.–7 से प्रीतम की उपस्थिति परीक्षा में सिद्ध होती है, जिससे पूरी अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है, राजीनामा से भी यह प्रकट होता है कि पक्षकार आपसी समझौते पर पहुँच चुके हैं और अभियोजन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अतः संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।

8. उपरोक्त बिन्दु को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन, विवेचन व विश्लेषण करें तो अभियोजन ने अपने कथन के समर्थन में कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया है। पी.डब्ल्यू.–1 कृष्णमुरारी, जो कि प्रकरण का फरियादी तथा स्वयं घ

ाायल गवाह है, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 15.12.2015 को लगभग सवा एक बजे वह देव क्लासेज कोचिंग से लौट रहा था, ब्राइट कोचिंग के सामने सत्यनारायण मिला, दोनों मुखराज गुर्जर के कमरे पर चाय पीकर वापस लौट रहे थे, तभी न्यू नेहरू स्कूल के गेट के पास प्रीतम, नरेन्द्र, विमल, कौशल प्रजापत, रिंकू तथा उनके साथ 15—20 अन्य लड़कों ने उन्हें रोक लिया। उन लोगों के पास लोहे की सरिया, लकड़ियाँ, हॉकी का बल्ला तथा धारदार हथियार थे। उन्होंने ये गुर्जरों के लड़के हैं कहते हुए हमला किया। नरेन्द्र मीणा ने उसके बाएँ हाथ पर सरिये से चोट मारी जिससे हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर के घुटने पर तथा गर्दन पर भी चोटें आईं। सत्यनारायण की नाक पर रिंकू ने सरिये से चोट मारी। उसने यह भी कथन किया है कि धर्मराज ने घटना देखी थी किन्तु हमलावरों की संख्या अधिक होने से बीच—बचाव नहीं करा सका। बाद में पुलिस जीप उन्हें थाना ले गई, जहाँ से अस्पताल भेजा गया। उसने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी—2 तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी—3 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताये है। उसने घटना का कारण भी बताया कि घटना से 3—4 दिन पूर्व एक गुर्जर लड़की का पीछा करने का विरोध किया गया था। गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है कि रिपोर्ट उसने बोलकर लिखवाई थी, पुलिस ने लिखी। रिपोर्ट 16.12.2015 को सुबह 7—8 बजे थाना में दी गई थी, पुलिस 16.12.2015 को नक्शा बनाने मौके पर गई थी, जबकि मुख्य परीक्षण में थाना से उसी दिन ले जाए जाने की बात कही। उसने स्वीकार किया कि अभियुक्तों से पहले कोई रंजिश नहीं थी, परंतु मारपीट करने वालों ने जातिसूचक रूप से उन्हें लक्ष्य बनाया। उसने नरेन्द्र द्वारा हाथ पर, कोमल व कौशल द्वारा पैर पर तथा प्रीतम द्वारा सिर पर चोट मारने की बात कही। गवाह ने स्वीकार किया कि 15—20 व्यक्ति हमलावर थे, जिनमें चार—पाँच को ही जानता था। मेडिकल अगले दिन हुआ। बचाव पक्ष द्वारा यह सुझाव कि अभियुक्तों ने कोई मारपीट नहीं की, उसने अस्वीकार किया।

9. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.—2 डॉ. डी.डी. मीणा ने कथन किया है कि दिनांक 15.12.2015 को वह सामान्य चिकित्सालय बून्दी में मेडिकल ज्यूरिस्ट था। उसने कृष्णमुरारी की पाँच चोटों का परीक्षण किया, जिनमें बाएँ पैर पर कुचला घाव, बायीं कोहनी के पीछे सूजन व नीलगू, बायीं अग्रभुजा पर पैरेलल नीलगू व सूजन, दाएँ कंधे पर नीलगू तथा गर्दन के बाएँ भाग पर नीलगू पाया। उसने कथन किया है कि ये सभी चोटें भोंटे हथियार से कारित थीं। एक्स—रे देखने के बाद चोट संख्या 3 को गंभीर पाया गया क्योंकि बायीं अग्रभुजा की अलना हड्डी के निचले एक—तिहाई भाग का

अस्थिभंग था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4, एक्स–रे कवर नोट प्रदर्श पी–5 तथा एक्स–रे प्लेट्स प्रदर्श पी–5ए, प्रदर्श पी–5बी उसने प्रमाणित किये। इसी प्रकार उसने सत्यनारायण की छह चोटें बताईं, जिनमें नाक पर कुचला घाव व सूजन तथा पीठ/छाती/कमर पर नीलगू शामिल थे। गवाह ने नाक की चोट को गंभीर तथा अन्य को साधारण बताया। संबंधित प्रतिवेदन प्रदर्श पी–6, कवर नोट प्रदर्श पी–7 तथा प्लेट्स प्रदर्श पी–7ए, प्रदर्श पी–7बी सिद्ध कीं। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि चोटें छह घंटे के भीतर की थीं। इस सुझाव को सही बताया कि सत्यनारायण की नाक की चोट गिरने से संभव हो सकती है और कुछ चोटें मुक्के से भी आ सकती हैं, परन्तु सभी चोटों को मात्र गिरने से कारित होना उसने स्वीकार नहीं किया। चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट रूप से बताता है कि दोनों घायल व्यक्तियों को भोंटे हथियारों से अनेक चोटें आईं और उनमें से दो चोटें गंभीर थीं।

10. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.–3 सत्यनारायण, जो कि प्रकरण में मजरूब है, ने कथन किया है कि वह दिनांक 15.12.2015 को ब्राइट कोचिंग से पढ़कर करीब 12:45 बजे बाहर आया, कृष्णमुरारी मिला, दोनों चाय पीकर लौट रहे थे। लगभग सवा एक बजे न्यू नेहरू स्कूल के सामने प्रीतम, विमल, नरेन्द्र, रिंकू, कोमल प्रजापत और 15–20 अन्य लोगों ने उन्हें रोक लिया। उनके हाथ में लकड़ियाँ, सरिये, हॉकी थीं। उन्होंने यह कहते हुए कि तुम गुर्जर लड़कियों के ज्यादा हिमायती हो, हमला कर दिया। रिंकू ने उसकी नाक पर सरिये से वार किया, अन्य लोगों ने हाथ–पैर, पीठ पर प्रहार किये। उसने कथन किया है कि धर्मराज और भीमराज ने घटना देखी, पर हमलावर अधिक थे। पुलिस की जीप आई और उन्हें थाना ले गई। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट उसी दिन दर्ज हुई थी, नक्शा अगले दिन शाम पाँच बजे मौके पर बना, उस समय वह मौजूद नहीं था। उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तों से पूर्व कोई रंजिश नहीं थी और कुछ के नाम–पते जानता था। जिरह का एक भाग यह है कि उसने कहा रिंकू ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की, किन्तु उसी जिरह में उसने यह भी कथन किया है कि मेरे साथ लात–घूँसों, लकड़ियों, सरियों तथा हॉकी से मारपीट हुई थी और यह कि किसने कहाँ चोट मारी, घटना के समय पता था, पुलिस बयान में लिखा दिया था। इस प्रकार जिरह का उक्त एकाकी उत्तर उसके मुख्य कथन और संपूर्ण घटनाक्रम को निष्प्रभावी नहीं करता। घायल गवाहों के बयान शब्दशः समान होना अपेक्षित नहीं है। समय के अंतराल, शारीरिक पीड़ा, तनाव और अनेक हमलावरों की उपस्थिति में कुछ असंगतियाँ स्वाभाविक हैं।

11. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.–4 धर्मराज ने कथन किया है कि दिनांक 15.12.2015 को लगभग एक बजे वह कोचिंग से लौट रहा था। न्यू नेहरू स्कूल चौराहे पर उसने देखा कि 15–20 व्यक्ति दो लड़कों के साथ मारपीट कर रहे थे। उनमें नरेन्द्र, प्रीतम, रिंकू, विमल, रामदत्त, श्याम मीणा आदि थे। वे कृष्णमुरारी और सत्यनारायण के साथ लकड़ियों, सरियों तथा लात–घूँसों से मारपीट कर रहे थे। उसने आगे कथन किया है कि कृष्णमुरारी और सत्यनारायण ने बाद में उसे बताया कि लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने के कारण मारपीट हुई। उसने रामदत्त के पास छोटी बन्दूक देखने की भी बात कही। उसने प्रदर्श पी–3 नक्शा मौका पर अपने हस्ताक्षर सिद्ध किये। जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह कुछ दूरी पर था, कुछ अभियुक्तों के नाम घायल पक्ष से सुने, कृष्णमुरारी और सत्यनारायण उसके मित्र हैं, और उसने रामदत्त को घटना से पूर्व से नहीं जाना था। किन्तु उसने यह नहीं माना कि वह घटना स्थल पर था ही नहीं। उसने उपस्थित होकर मारपीट देखना स्पष्ट रूप से कहा। प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उसका साक्ष्य घटना की पुष्टि करता है। यह सही है कि वह प्रत्येक प्रहार और प्रत्येक अभियुक्त की व्यक्तिगत भूमिका शल्य–विश्लेषण की तरह नहीं बता पाया, पर सामूहिक हमले के मामलों में ऐसा अपेक्षित भी नहीं होता। समूह हिंसा में गवाह प्रायः समग्र दृश्य देखता है, प्रत्येक वार की सूक्ष्म गणना नहीं करता।

12. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.–5 सुमित नुवाल न्यू नेहरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कार्यवाहक प्रधानाचार्य था। उसने कथन किया है कि दिसंबर 2015 में प्रीतम कुमार मीणा उसके विद्यालय में पढ़ता था और दिनांक 15.12.2015 को उसकी जीव विज्ञान की अर्द्धवार्षिक परीक्षा 1:45 बजे से 5:00 बजे तक थी, जिसमें वह उपस्थित था। उसने यह भी कथन किया है कि उसे सूचना मिली कि स्कूल के सामने लड़ाई–झगड़ा हुआ है और दो लड़कों के साथ 8–10 लड़कों ने मारपीट की। उक्त गवाह से जिरह नहीं की गयी है। यह गवाह मुख्यतः प्रीतम के संबंध में विद्यालय रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए था।

13. गवाह पी.डब्ल्यू.–6 रामप्रसाद ने कथन किया है कि वह रतन सिंह राणा वकील के मकान में किराये के कमरे में रहता था और पास वाले कमरे में प्रीतम मीणा तथा उसके चाचा ओमप्रकाश रहते थे। दिनांक 15.12.2015 को प्रीतम की जीवविज्ञान की परीक्षा थी और वह डेढ़ बजे कमरे से रवाना हुआ, शाम को सवा पाँच बजे लौटा। उसने यह मत दिया कि यदि सवा एक बजे झगड़ा हुआ तो प्रीतम का नाम गलत लिखवाया गया है। इस गवाह से भी जिरह नहीं की गयी है। गवाह पी.डब्ल्यू.–7

ओमप्रकाश ने भी यही कथन किया है कि उसका भतीजा प्रीतम परीक्षा देने गया था और 5:30 बजे वापस आया, तथा उसे जब जानकारी मिली तो प्रीतम किसी लड़ाई–झगड़े में शामिल नहीं था। जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसने केवल सुना था, झगड़े के समय कमरे में था और किसी को नहीं जानता।

14. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.–8 कुलदीप ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है और कथन किया है कि उसने न तो मारपीट देखी और न सुनी। उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा जिरह में उसने पुलिस बयान प्रदर्श पी–8 से इंकार किया और नरेन्द्र आदि को जानने से भी इंकार किया। ऐसे गवाह का साक्ष्य पूर्णतः अप्रयोज्य नहीं होता; न्यायालय उसकी उस सीमा तक बात स्वीकार कर सकता है जहाँ वह विश्वसनीय प्रतीत हो, किन्तु यहाँ उसने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, इसलिए उससे अभियोजन को कोई ठोस बल नहीं मिलता।

15. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.–9 खेमचंद कलवार रेडियोग्राफर है। उसने दिनांक 16.12.2015 को कृष्णमुरारी के बाएँ हाथ की कोहनी व कलाई तथा सत्यनारायण की नाक के एक्स–रे किये और प्रदर्श पी–5, प्रदर्श पी–5ए, प्रदर्श पी–5बी तथा प्रदर्श पी–7, प्रदर्श पी–7ए को सिद्ध किया। जिरह में उसने कथन किया है कि उसने केवल एक्स–रे किया, चोट की राय नहीं दी। उसका साक्ष्य औपचारिक है पर चिकित्सीय दस्तावेजों की शृंखला पूर्ण करता है।

16. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.–10 नन्दसिंह अनुसंधान अधिकारी है। उसने कथन किया है कि उसे मुकदमा 570/2015 का अनुसंधान सुपुर्द हुआ। उसने गवाहान के बयान लिये, दिनांक 16.12.2015 को फरियादी की निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी–3 बनाया, दोनों घायलों का मेडिकल कराया, मेडिकल राय के अनुसार कृष्णमुरारी के हाथ और सत्यनारायण की नाक की चोट को गंभीर पाया गया, अतः धारा 325 जोड़ी गई। उसने यह भी कथन किया है कि प्रीतम मीणा का घटना में शरीक होना नहीं पाया गया और उसे पृथक कर दिया गया, किन्तु वर्तमान अभियुक्तगण नरेन्द्र, कोमल, श्याम बिहारी, रामदत्त, विमल, कपिल तथा विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक राजेन्द्र उर्फ रिंकू के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया। जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसके मुख्य परीक्षण के बयान पत्रावली देखकर यादास्ती से थे, नक्शा घटना के दूसरे दिन बना, गवाहों के बयान थाना कोतवाली में लिये गये, गवाहों ने ही मुल्जिमों के नाम बताये। इससे अनुसंधान की वैधानिकता पर कोई घातक आघात नहीं पड़ता। अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्रावली देखकर बयान देना स्वाभाविक है, क्योंकि

वह वर्षों पूर्व की घटना पर बयान दे रहा है। नक्शा अगले दिन बनना भी ऐसे प्रकरणों में असामान्य नहीं है, विशेषकर जब पहले घायल का चिकित्सीय परीक्षण करवाना हो। अनुसंधान की कुछ कमियाँ होने मात्र से अभियोजन साक्ष्य अस्वीकार नहीं होता, जब तक कि वे अभियुक्तों को वास्तविक पूर्वाग्रह न पहुँचाएँ अथवा मूल घटना को संदिग्ध न बना दें।

17. गवाह पी.डब्ल्यू.–11 भीमराज ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह नौकरी के सिलसिले में न्यू नेहरू स्कूल गया था, वहाँ कुछ लड़कों को झगड़ते देखा, किन्तु नाम नहीं जानता। उसने प्रदर्श पी–3 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये, पर यह कथन किया है कि उसने थाने पर हस्ताक्षर किये थे। उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की जिरह में उसने यह स्वीकार किया कि दो लड़कों के साथ 15–20 लड़के मारपीट कर रहे थे, पर यह नहीं जानता कि वे कृष्णमुरारी और सत्यनारायण थे। उसने अभियुक्तों के नाम जानने से इंकार किया। यह गवाह भी घटना की सामूहिक मारपीट की पुष्टि करता है, यद्यपि अभियुक्तों की पहचान के प्रश्न पर वह अभियोजन का समर्थन नहीं करता।

18. अब न्यायालय को यह परखना है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे अपराध सिद्ध करते हैं। आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना होता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उसे गणितीय निश्चितता स्थापित करनी है। "संदेह से परे" का आशय तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और न्यायसंगत संतोष से है, न कि कल्पनात्मक अथवा दूरानुमानित शंकाओं के पूर्ण उन्मूलन से। यह भी स्थापित विधि है कि घायल प्रत्य क्षदर्शी का साक्ष्य विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उसके शरीर पर आई चोट उसकी उपस्थिति का प्राकृतिक और प्रबल प्रमाण होती है। ऐसी स्थिति में जब घायल गवाह घ टना का सुसंगत विवरण देता है और चिकित्सा साक्ष्य उसे पुष्ट करती है, तब उसके कथन को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसमें कुछ सामान्य विसंगतियाँ हैं। इसी प्रकार यह भी सिद्ध विधि है कि पक्षद्रोही गवाह का सम्पूर्ण बयान त्याज्य नहीं होता; न्यायालय उसके उस भाग पर भरोसा कर सकता है जो अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से पुष्ट होता हो। साथ ही, विवेचना में हुई प्रत्येक त्रुटि अभियोजन के लिए घातक नहीं होती। यदि प्रत्यक्ष एवं चिकित्सीय साक्ष्य विश्वसनीय हो, तो विवेचक की त्रुटियाँ अभियुक्त के लिए स्वतः लाभकारी नहीं बनतीं, जब तक कि वे मामले की जड़ को हिला न दें।

19. प्रथम दृष्टि से इस प्रकरण का सबसे मजबूत आधार पी.डब्ल्यू.–1 कृष्णमुरारी और पी.डब्ल्यू.–3 सत्यनारायण के घायल साक्ष्य हैं। दोनों ने घटना का समय, स्थान, सामूहिक हमला, हमलावरों की संख्या, प्रयुक्त हथियार और चोटों का विवरण दिया। दोनों ने यह भी बताया कि वे कोचिंग से लौटते समय न्यू नेहरू स्कूल के पास रोके गये। दोनों ने यह कथन किया है कि हमलावरों की संख्या अधिक थी। दोनों ने कथन किया है कि उन्हें पुलिस जीप द्वारा थाना/अस्पताल ले जाया गया। दोनों के कथन को पी.डब्ल्यू.–2 डॉ. डी.डी. मीणा की मेडिकल रिपोर्ट पुष्ट करती है। कृष्णमुरारी के हाथ की फ्रैक्चरयुक्त चोट और सत्यनारायण की नाक की गंभीर चोट घ ाटना के साथ सीधे जुड़ी हुई हैं। यदि इन दोनों गवाहों को झूठा माना जाए तो यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने न केवल स्वयं अपने ऊपर गंभीर चोटें सहन कीं, बल्कि वास्तविक हमलावरों को छोड़कर निर्दोष व्यक्तियों को फँसाया। ऐसा निष्कर्ष तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कोई प्रबल कारण उपलब्ध न हो। बचाव पक्ष ऐसी कोई पूर्व रंजिश, शत्रुता अथवा गहरा वैमनस्य स्थापित नहीं कर सका जिससे यह निष्कर्ष निकले कि घायल पक्ष अपने वास्तविक हमलावरों को छोड़कर अभियुक्तगण को झूठा फँसाएगा।

20. गवाह पी.डब्ल्यू.–1 और पी.डब्ल्यू.–3 के कथनों में जो विसंगतियाँ इंगित की गई हैं, वे न्यायालय की दृष्टि में घटना के मूल स्वरूप को प्रभावित करने वाली नहीं हैं। रिपोर्ट पुलिस ने लिखी या पी.डब्ल्यू.–1 ने अपने हाथ से लिखी, यह ऐसा मुद्दा नहीं है जो मारपीट की सत्यता को समाप्त कर दे। रिपोर्ट उसी दिन लिखी गई अथवा अगले दिन सुबह औपचारिक रूप से अंकित की गई, यह भी ऐसी विसंगति नहीं है जिससे घायलों के चोटिल होने और हमले का तथ्य ध्वस्त हो जाए। नक्शा उसी दिन बना या अगले दिन, यह केवल अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रश्न है। जिरह में यह स्वाभाविक है कि वर्षों बाद बयान देते समय गवाह तिथियों और समय की सूक्ष्मता में भ्रमित हो सकते हैं। घटना 2015 की है और गवाही बाद में दी गई। अतः कुछ अंतर स्वाभाविक मानवीय त्रुटियाँ हैं। इस दृष्टि से पी.डब्ल्यू.–1 और पी.डब्ल्यू.–3 की गवाही का मूल आधार अपरिवर्तित है कि अभियुक्तगण के समूह ने उन्हें रोका और सामूहिक रूप से मारपीट की।

21. गवाह पी.डब्ल्यू.–4 धर्मराज का साक्ष्य घायल गवाहों को पर्याप्त समर्थन प्रदान करता है। यह सही है कि वह कुछ दूरी पर था, और कुछ व्यक्तियों के नाम घ ायल पक्ष से सुने। किन्तु उसने नरेन्द्र, प्रीतम, रिंकू, विमल, रामदत्त, श्याम मीणा को

देखा होना कहा और यह भी कथन किया है कि वे कृष्णमुरारी तथा सत्यनारायण के साथ लकड़ियों, सरियों, लात–घूँसों से मारपीट कर रहे थे। मित्र होना मात्र उसके साक्ष्य को त्याज्य नहीं बनाता। निकट संबंधी या मित्र गवाह भी यदि घटनास्थल पर स्वाभाविक रूप से उपस्थित हों और उनका कथन विश्वसनीय हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। इस गवाह की उपस्थिति को अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह भी कोचिंग से लौट रहा था। भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र में छात्र का उस समय वहाँ होना स्वाभाविक है।

22. गवाह पी.डब्ल्यू.–11 भीमराज हालांकि पक्षद्रोही हुआ है, परन्तु उसने यह स्वीकार किया कि दो लड़कों के साथ 15–20 लड़के मारपीट कर रहे थे। यह अभियोजन के घटना–घटनाक्रम की पुष्टि करता है। पी.डब्ल्यू.–8 कुलदीप ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, किन्तु पक्षद्रोही हो जाने से घायल साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य की शक्ति कम नहीं होती। स्वतंत्र गवाहों का साथ छोड़ देना भारतीय आपराधिक मुकदमों में असामान्य नहीं है, विशेषकर जब अभियुक्त स्थानीय प्रभावशाली हों, समूह हिंसा का मामला हो, या समय बीत चुका हो। इस कारण अकेले पक्षद्रोही हो जाने से शेष विश्वसनीय साक्ष्य का मूल्य नहीं घटता। विद्यालय रिकॉर्ड और साक्ष्य के आधार पर प्रीतम को अनुसंधान में पृथक किया गया। किन्तु इससे वर्तमान अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य स्वतः दुर्बल नहीं हो जाते। किसी एक नामजद व्यक्ति के विरुद्ध संदेह का उत्पन्न होना यह निष्कर्ष नहीं देता कि शेष सभी अभियुक्त भी निर्दोष हैं। वास्तविकता यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अक्सर अचानक घटना के तुरंत बाद तनाव की स्थिति में दर्ज होती है, जिसमें कुछ नाम सही, कुछ अधूरे, कुछ अतिरिक्त हो सकते हैं। अनुसंधान का उद्देश्य ही सत्य की छानबीन कर वास्तविक अभियुक्तों की पहचान करना है। जब विवेचना में प्रीतम अलग हो गया और वर्तमान अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला कायम पाया गया, तो न्यायालय को इन्हीं के विरुद्ध उपलब्ध स्वतंत्र साक्ष्य का मूल्यांकन करना है।

23. अभियुक्तगण की पहचान के प्रश्न पर देखा जाये तो गवाह पी.डब्ल्यू.–1 और पी.डब्ल्यू.–3 दोनों घायल गवाहों ने कई अभियुक्तों को नाम से पहचाने जाने बाबत साक्ष्य दी है। घटना दिनदहाड़े हुई, स्थान खुला था, और हमलावरों की संख्या अधिक होने पर भी पहचान का पूरी तरह विफल होना आवश्यक निष्कर्ष नहीं है। अभियोजन का यह दायित्व नहीं कि प्रत्येक अभियुक्त के हर एक हाथ, हथियार और प्रहार का सूक्ष्म विवरण दे। धारा 149 भा.दं.सं. का उद्देश्य ही यह है कि जब पाँच या अधिक

व्यक्तियों का एक विधि विरुद्ध जमाव किसी सामान्य उद्देश्य से हिंसक कार्यवाही करता है, तब उस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किया गया अपराध प्रत्येक सदस्य की उत्तरदायित्व–शृंखला में आता है। यहाँ गवाहों ने स्पष्ट कथन किया है कि 15–20 लोग एक साथ रोके, जातिगत टिप्पणी करते हुए घेरकर हमला किया, लकड़ियों, सरियों, हॉकी आदि से प्रहार किये, दोनों घायलों को नीचे गिरा दिया, और मारपीट करके भाग गये। यह परिस्थिति विधि विरुद्ध जमाव और सामान्य उद्देश्य को भली–भाँति सिद्ध करती है। गवाहान ने लोहे की सरिया, लकड़ी, हॉकी आदि के साथ सामूहिक हमला बताया। साधारणतः लोहे की सरिया और हॉकी जैसे कठोर आयुध यदि समूह हिंसा में प्रयुक्त हों तो वे गंभीर परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। यहाँ वास्तविक परिणाम के रूप में दो गंभीर चोटें भी उत्पन्न हुईं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त केवल निहत्थे थे या मामूली धक्का–मुक्की कर रहे थे। यद्यपि हथियारों की बरामदगी नहीं हुई, किन्तु बरामदगी न होना स्वयं अभियोजन के लिए घातक नहीं है, जब प्रत्यक्ष एवं चिकित्सीय साक्ष्य उनसे होने वाली चोटों का समर्थन करते हों।

24. धारा 341 भा.दं.सं. के सम्बन्ध में गवाह पी.डब्ल्यू.–1 और पी.डब्ल्यू.–3 दोनों ने स्पष्ट कथन किया है कि उन्हें न्यू नेहरू स्कूल के पास रास्ते में रोका गया। धारा 323 / 149 तथा 325 / 149 भा.दं.सं. के लिए साधारण और गंभीर चोटें तथा उनका अभियुक्तगण के विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य में कारित होना सिद्ध होना अपेक्षित है। यहाँ दोनों घायल व्यक्तियों को अनेक चोटें आईं, जिनमें एक–एक गंभीर चोट है। गवाह डॉ. डी.डी. मीणा की चिकित्सा रिपोर्टें निष्कर्षात्मक हैं। पी.डब्ल्यू. –9 ने एक्स–रे प्रक्रिया के सम्बन्ध में कथन किया है। यह सही है कि डॉक्टर ने कुछ चोटों के मुक्के अथवा गिरने से संभव होने की संभावना स्वीकार की, परन्तु उसने समस्त चोटों को गिरने से उत्पन्न बताने से इंकार किया। जब दो घायल गवाह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन पर समूह ने सरिया, लकड़ी, हॉकी से हमला किया, तब नाक की चोट गिरने से भी संभव होना मात्र एक अनुमानात्मक संभावना है, जो अभियोजन के प्रत्यक्ष कथन को परास्त नहीं करती। न्यायालय को वास्तविक और तर्कसंगत संभावना तथा काल्पनिक संभावना में अंतर करना होता है। यहाँ चोटों का स्थान, बहुलता, दोनों व्यक्तियों का एक साथ घायल होना, और सामूहिक मारपीट का प्रत्यक्ष साक्ष्य अभियोजन संस्करण को कहीं अधिक प्रबल बनाता है।

25. जहाँ तक बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामे का प्रश्न है तो अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने एक सौ रुपये के

स्टाम्प पत्र पर लिखित, नोटरीकृत राजीनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें परिवादी द्वारा अभियुक्तगण से समझौता होने तथा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने की बात अंकित है। किन्तु न्यायालय के समक्ष न तो परिवादी स्वयं उपस्थित होकर इस राजीनामे की पुष्टि करने आया, न उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ, न यह प्रदर्शित किया गया कि उक्त राजीनामा उसकी पूर्ण स्वेच्छा, स्वतंत्र इच्छा और बिना किसी दबाव, भय, प्रलोभन या प्रभाव के निष्पादित हुआ। इसके विपरीत, राजीनामा अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से पेश किया गया, जो स्वाभाविक रूप से संदेह उत्पन्न करता है। जब स्वयं कथित समझौताकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी स्वैच्छिक सहमति की पुष्टि न करे, तब केवल नोटरीकृत दस्तावेज़ के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अतः यह उक्त राजीनामा की प्रमाणिकता पुष्ट नहीं हुई है।

26. समस्त साक्ष्य का संयुक्त परीक्षण करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दिनांक 15.12.2015 को लगभग 01.00 से 01.15 बजे के मध्य न्यू नेहरू स्कूल, बून्दी के पास कृष्णमुरारी और सत्यनारायण को रोककर 15–20 व्यक्तियों के समूह ने उन पर हमला किया। यह समूह लकड़ियों, लोहे की सरियों, हॉकी जैसे आयुधों से लैस था। दोनों घायलों को अनेक चोटें आईं, जिनमें एक–एक गंभीर चोट थी। घटना की पुष्टि घायल प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.डब्ल्यू.–1 और गवाह पी.डब्ल्यू.–3 ने की, जिसे चिकित्सा साक्ष्य तथा आंशिक रूप से गवाह पी.डब्ल्यू.–4 एवं गवाह पी.डब्ल्यू.–11 ने पुष्ट किया। अभियुक्तगण की उपस्थिति और सहभागिता के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त और विश्वसनीय है। यह भी सिद्ध है कि पाँच से अधिक व्यक्तियों का यह समूह एक समान उद्देश्य से एकत्र था, घायलों को रोका गया, सामूहिक रूप से प्रहार किये गये और गंभीर चोटें कारित की गईं। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य संदेह से परे है।

27. अतः न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन ने अभियुक्तगण नरेन्द्र, कोमल कुमार, श्याम बिहारी उर्फ श्याम मीणा, रामदत्त,, विमल कुमार तथा कपिल के विरुद्ध यह तथ्य संदेह से परे सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने दिनांक 15.12.2015 को साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया, लोहे की सरियों, लकड़ियों आदि घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा किया, कृष्णमुरारी एवं सत्यनारायण का सदोष अवरोध किया, उन्हें साधारण तथा गंभीर चोटें पहुंचाईं। फलतः अभियुक्तगण धारा 148, 341, 323, 325 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के अपराधों

के लिए दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

:: <u>आ दे श</u> ::

28. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण (1) नरेन्द्र मीणा पुत्र सुखपाल, निवासी दाल मिल की गली, मीणा मोहल्ला, इन्द्रा कॉलोनी, थाना सदर, जिला बून्दी(राज.), (2)कोमल कुमार प्रजापत पुत्र श्रवण कुमार, निवासी राधाकृष्ण मंदिर के पास, इन्द्रा कॉलोनी, बून्दी, थाना सदर, बून्दी(राज.), (3) श्याम बिहारी उर्फ श्याम पुत्र दयाराम, निवासी गोगापुरा पाड़ा, थाना गेण्डोली, जिला बून्दी(राज.), (4) रामदत्त पुत्र प्रभूलाल, निवासी कांजरी सीलोर, थाना सदर, जिला बून्दी(राज.), (5) विमल कुमार पुत्र रामकिशन, निवासी ग्राम उगैन, थाना नैनवां, हाल बटवाड़िया की टेक, नैनवां, जिला बून्दी(राज.), (6) कपिल पुत्र मदनलाल, निवासी बहादुरपुरिया, धौलादेवरा, पंचायत हट्टीपुरा, थाना सदर, जिला बून्दी(राज.) को धारा 148, 341, 323, 325 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के उपस्थिति बाबत् जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

<u>दण्ड के प्रश्न पर सुना गया–</u>

29. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त 2016 से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जावे। विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध प्रमाणित नहीं है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

30. अभियुक्तगण (1) नरेन्द्र मीणा पुत्र सुखपाल, निवासी दाल मिल की गली, मीणा मोहल्ला, इन्द्रा कॉलोनी, थाना सदर, जिला बून्दी(राज.), (2)कोमल कुमार प्रजापत पुत्र श्रवण कुमार, निवासी राधाकृष्ण मंदिर के पास, इन्द्रा कॉलोनी, बून्दी, थाना सदर,

बून्दी(राज.), (3) श्याम बिहारी उर्फ श्याम पुत्र दयाराम, निवासी गोगापुरा पाड़ा, थाना गेण्डोली, जिला बून्दी(राज.), (4) रामदत्त पुत्र प्रभूलाल, निवासी कांजरी सीलोर, थाना सदर, जिला बून्दी(राज.), (5) विमल कुमार पुत्र रामकिशन, निवासी ग्राम उगैन, थाना नैनवां, हाल बटवाड़िया की टेक, नैनवां, जिला बून्दी(राज.), (6) कपिल पुत्र मदनलाल, निवासी बहादुरपुरिया, धौलादेवरा, पंचायत हट्टीपुरा, थाना सदर, जिला बून्दी(राज.) को धारा 148, 341, 323, 325 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने पर उक्त अपराधों के लिये तुरन्त दण्ड नहीं दिया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त दस–दस हजार रूपये का एक वर्ष की अवधि के लिये सदाचार व शान्ति बनाये रखने, ऐसे अपराधों को पुनरावृत्ति नहीं करने तथा सजा भुगतने हेतु बुलाये जाने पर उपस्थित न्यायालय होने की शर्त के साथ स्वयं का बंध–पत्र व इसी राशि की एक–एक जमानत न्यायालय में प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। अभियुक्तगण अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 1000–1000 रूपये अभियोजन व्यय के रूप में जमा करायेंगे।

अभियुक्तगण को धारा 437ए दं.प्र.सं. के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् छः माह की अवधि के लिए दस हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत करने बाबत ओदशित किया जाता है।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

31. निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)